न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज.

पीठासीन अधिकारी :– राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 07/22

दायरा दिनांक 07.03.2022

नरवदी पत्नि हरिसिंह उम्र 65 वर्ष जाति सहरिया निवासी ढिकवानी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

–वादीनी

बनाम

1. निब्बू पुत्र मूला जाति सहरिया निवासी ढिकवानी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. केसरा पुत्र मूला जाति सहरिया निवासी ढिकवानी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. कासीलाल पुत्र गज्जू जाति सहरिया निवासी ढिकवानी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
4. गुड्डी पुत्री गज्जू जाति सहरिया निवासी ढिकवानी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
5. कपूरी पुत्री गज्जू जाति सहरिया निवासी ढिकवानी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
6. इन्द्रा पुत्री गज्जू जाति सहरिया निवासी ढिकवानी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,90,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

<u>निर्णय–दिनांक 07.10.2022</u>

उपस्थित– वादी की ओर से–श्री वीरेन्द्र अग्रवाल एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से–श्री पंकज शर्मा एडवोकेट

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम ढिकवानी तहसील शाहावाद में आराजी खसरा नंबर 705/877 रकबा 5.02 बीघा प्रतिवादी कम 1 ता 3 व प्रतिवादी कम 3 ता 6 की मां कंचन वेवा गज्जू के संयुक्त खाते में स्थित रही है, जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कम 1 ता 6 के सहमति बंटवारे कें आधार पर निम्न प्रकार से दर्ज है। प्रतिवादी कम 1 व 2 खसरा नंबर 966/705 श. नं. 705/877 रकबा 3.08 बीघा, प्रतिवादी कम 3 ता 6 खसरा नंबर 705/877 रकबा 1.14 बीघा। इस आराजीयात को दावे में विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी का मूल खसरा नंबर 705/877 रकबा 5.02 बीघा था और प्रतिवादी 1 ता 3 व प्रतिवादी 3 ता 6 की मां कंचन के खाते में संयुक्त रूप से दर्ज थी, वादीनी ने दिनांक 08.06.2009 को प्रतिवादी कम 1 ता 3 व प्रतिवादी कम 3 ता 6 की मां कंचन से जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र कय कर कब्जा प्राप्त किया है, खरीद के बाद से विवादित आराजीयात को बहेसियत मालिक काश्त करती आ रही है। विकयपत्र दिनांक 08.06.09 के आधार पर विवादित आराजीयात का नामान्तरकरण संख्या 1425

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:55:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

दिनांक 03.08.09 को नायब तहसीलदार केलवाडा द्वारा तस्दीक कर दिया गया जिसका अंकन जमाबंदी 2063 से 2066 में भी कर दिया गया इसके पश्चात नामान्तरकरण संख्या 1304 से प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 व प्रतिवादी 3 ता 6 की मां कंचन के मध्य आपसी सहमति से बटबारा बताते हुये जमाबंदी 2063–66 में खसरा नंबर 705/877 रकबा 5.02 बीघा को प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 व प्रतिवादी क्रम 3 ता 6 की मां कंचन के मध्य विभाजित करते हुये अंकन कर दिया तथा जमाबंदी 2067 से 2070 में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रम 3 व 3 ता 6 की मां कंचन के प्रथक प्रथक खाते कायम कर दिये गये, वादीनी के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1425 ग्राम ढिकवानी को नजरअंदाज कर दिया गया। प्रतिवादीगण ने वादनी के पक्ष में विवादित आराजीयात का विक्रयपत्र तहरीर एवं पंजीकृत कराते वक्त विवादित आराजीयात की संयुक्त खाते की जमाबंदी लाकर दी एवं प्रतिवादीगण ने संयुक्त खाते में दर्ज होना बताया, इसी के आधार पर दिनांक 08.06.09 को संयुक्त रूप से प्रतिवादी 1 ता 3 व कंचन ने वादनी के पक्ष में विक्रयपत्र तहरीर कराया है। प्रतिवादीगण ने सहमति बंटबारे के तथ्य को विक्रय के समय वादनी को नहीं बताया ना ही विक्रयपत्र के पंजीयन के समय तक जमाबंदी में प्रतिवादीगण के सहमति बंटबारे का अमल हुआ था। वादनी सद्भावी क्रेता है तथा प्रतिवादीगण ने विवादित आराजीयात को दिनांक 08.06.09 को विक्रय कर कब्जा संभलाया है, इस कारण विवादित आराजीयात में प्रतिवादीगण का कोई हक नहीं रहा है तथा वादनी रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर विवादित आराजी को अपने खाते दर्ज कराने की अधिकारी है। वादनी ने दिनांक 07 जनवरी 2022 को प्रतिवाइी क्रम 7 के समक्ष विवादित आराजी को वादनी के नाम दर्ज कराने बावत आवेदन पेश किया तो प्रतिवादी क्रम 7 ने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही का निर्देश दिया। वर्तमान में विक्रेता कंचन बेबा गज्जू का देहान्त हो जाने से उसके वारिसान प्रतिवादी 3 ता 6 का नाम नामान्तरकरण 1813 के जरिये दर्ज हो चुका है, राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने से वे विवादित आराजीयात अन्य को विक्रय करने आमादा हैं। दिनांक 30.01.22 को वादनी ने प्रतिवीगण से विवादित आराजी को अपने नाम दर्ज कराने को कहा तो उन्होने इनकार कर दिया। अतः वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे, रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम हटाकर वादी का नाम दर्ज किया जावे, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करें कि वे वादी के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें, इत्यादि।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से इकबाली जबाव प्रस्तुत कर वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जबाव प्रस्तुत किये जाने से प्रकरण में कोई तनकी कायम नहीं की गई।

वादी की ओर से स्वयं वादी [illegible] के बयान पी.डब्ल्यू 1 के रूप में कराये गये और ग्राम ढिकवानी की जमाबंदी संवत 2063–66 प्रदर्श 1, जमाबंदी 2055–58 प्रदर्श 2, [illegible] जमाबंदी [illegible] 2071–74 कमशः प्रदर्श 3 व 4, विक्रयपत्र की प्रति प्रदर्श 5, नकल नामान्तरकरण नंबर 1425 की प्रति प्रदर्श 6 तथा माबंदी 2059–62 प्रदर्श 7 को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जाना जाहिर करने से प्रतिवादीगण की साक्ष्य समाप्त की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:55:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत प्रति विकयपत्र दिनांक 08.06.2009 से साबित है कि वादी ने विवादित भूमि खसरा नंबर 705/877 रकबा 5.02 बीघा को प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 तथा प्रतिवादी कम 3 लगायत 6 की मां कंचन से दिनांक 08.06.2009 को रजिस्टर्ड विकयपत्र के जरिये कय कर कब्जा प्राप्त किया है, इस विकय की पालना में प्रदर्श 6 नामान्तरकरण 1425 दर्ज कर अमल प्रदर्श 1 जमाबन्दी 2063–66 में किया गया है। जब एक बार वादी का नाम रिकार्ड में दर्ज हो चुका था तो बाद में उसे किस आधार पर हटाया गया, ये कहीं उल्लेखित नहीं है। यदि प्रतिवादी कम 1 ता 3 व प्रतिवादी 3 ता 6 की मां कंचन के मध्य आपसी सहमति से बटबारा भी हुआ था, तब भी सम्पूर्ण रकबे का विकय कर दिये जाने से उक्त विभाजन कोई मायने नहीं रखता है। प्रतिवादीगण की ओर से इकबाली जबाव प्रस्तुत हुआ है और वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है, इस आधार पर वादी विवादित आराजी को अपने खाते दर्ज कराने की वैधानिक अधिकारी पाई जाती है।

आदेश

अतः उक्त विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को विवादित आराजी खसरा नंबर 966/705 श. नं. 705/877 रकबा 3.08 बीघा, तथा खसरा नंबर 705/877 रकबा 1.14 बीघा कुल 5.02 बीघा ग्राम ढिकवानी का खातेदार घोषित किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि रिकार्ड में उक्त आराजी को प्रतिवादीगण के स्थान पर वादी के नाम दर्ज किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:55:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्राथमिक–डिकी मुकदमा इन्तदाई

(आदेश 20 नियम 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम शाहाबाद

वइजलास – राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

नरवदी पत्नि. हरिसिंह उम्र 65 वर्ष जाति सहरिया निवासी ढिकवानी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

–वादीनी

बनाम

1. निब्बू पुत्र मूला जाति सहरिया निवासी ढिकवानी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. केसरा पुत्र मूला जाति सहरिया निवासी ढिकवानी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. कासीलाल पुत्र गज्जू जाति सहरिया निवासी ढिकवानी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
4. गुड्डी पुत्री गज्जू जाति सहरिया निवासी ढिकवानी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
5. कपूरी पुत्री गज्जू जाति सहरिया निवासी ढिकवानी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
6. इन्द्रा पुत्री गज्जू जाति सहरिया निवासी ढिकवानी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

– प्रतिवादीगण

दावा वास्ते विभाजन अन्तर्गत धारा 88,89,90,188 आर.टी.एक्ट 1955

मुकदमा नं. 07/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..
व हाजरी..................................मिनजामिन मुद्दई रूबरू..
मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि डिकी दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को विवादित आराजी खसरा नंबर 966/705 श. नं. 705/877 रकबा 3.08 बीघा, तथा खसरा नंबर 705/877 रकबा 1.14 बीघा कुल 5.02 बीघा ग्राम ढिकवानी का खातेदार घोषित किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि रिकार्ड में उक्त आराजी को प्रतिवादीगण के स्थान पर वादी के नाम दर्ज किया जावे। निज ....मुबलिग...
बावत.

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह......... ....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....को अदा ...

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....10.2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:55:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुददायलह
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बवत इजराय हुकमनामा मुतफरीक			स्टाम्प अर्जीदावा सटाम्प अर्जी मेहनताना बकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बवत इजराय हुकमनामा मुतफरीक मीजान

नोट– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
गाजियाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहिबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:55:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner